



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266645
CG-DL-E-06102025-266645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4344]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947

No. 4344]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

का.आ. 4468(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH-848 के कि.मी 11.6 से 65.093 कि.मी. तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 848 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) क्र.2,	राष्ट्रीय राजमार्ग	महाराष्ट्र	नासिक	दिंडोरी	1 गोलशी

						5	Ambegan
						6	Zarlipada
						7	Nalegaon
						8	Rashgaon
						9	Deherewadi
						10	Ramshej
					Peth	1	Borwath
						2	Kotambi
						3	Savalghat
						4	Karnjali
						5	Tilbhat
						6	Peth

[F. No. RO/MUM/Nashik-Kumbh-2027/2025-26/241]

SHAIKH AMINKHAN, Director